

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

-:आदेश:-

224
18/11/21
163
18/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम की जमाबन्दी सम्वत् में खाता प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
↓	महारजपुर	43	रामकृष्ण दुधवा	रामकृष्ण दुधवा श्री 5-5M 95 दुधवा (अदालत) मुकद

(हस्ताक्षर)

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उप उपखण्ड अधिकारी एवं
शाहपदेन सहा.कलक्टर

क्रमांक :- 725-726

दिनांक :- 18/11/21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उप
श्री
N. P. K
को 224 18/11/2021

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उप उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर

श्री 5-5M